न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0)

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमॉकः क्यू/सी.जे.एम/2026 **जगदलपुर, दिनॉक– 06.04.2025**

मैं **शिव प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर जिला बस्तर** छ0ग0 दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक क्यू/सी.जे.एम./2025 जगदलपुर दिनांक **06.10.2025** को निरस्त करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) एवं 13(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला बस्तर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दांडिक प्रकरण एवं कार्य विभाजन आदेश निम्नानुसार जारी करता हूँ जो आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा :–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पद	आबंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
1	2	3	4
1	शिव प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)	सम्पूर्ण राजस्व जिला बस्तर, जगदलपुर तहसील के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र– 1) कोतवाली जगदलपुर, 2) बोधघाट, 3) परपा (फ्रेजरपुर) 4) दरभा, 5) नगरनार, 6) लोहण्डीगुड़ा, 7) रेल सुरक्षा बल जगदलपुर, 8) थाना यातायात, आर0टी0ओ0 जगदलपुर	(1) स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण/परिवाद 175(3) भा.ना.सु.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) बस्तर जिले के ऐसे सभी अभियोग पत्र जिसमें संबंधित अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि में दो वर्ष या उससे अधिक का कारावास का दंड रहा हो। (3) बस्तर जिला के सभी क्षमा प्राप्त अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। (4) बस्तर जिला में पूर्व में कार्यरत मजिस्ट्रेट अथवा वर्तमान में जिला बस्तर के रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेट के वे प्रकरण जिन्हें अपील अथवा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हो अथवा रिक्त या पूर्व में कार्यरत न्यायालयों से संबंधित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। (5) रेल सुरक्षा बल जगदलपुर के पूर्व निर्धारित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रेल अधिनियम 1989 एवं रेल संपत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 के तहत प्रस्तुत इश्तगाशा एवं परिवाद (6) बस्तर जिला से संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन उड़नदस्ता की ओर से प्रस्तुत इश्तगाशा। (7) आबकारी वृत्त जगदलपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के अपराध के संज्ञान लेने, जांच विचारण करना। (8) बस्तर वन मंडल जिला बस्तर जगदलपुर द्वारा प्रस्तुत वन विभाग से संबंधित समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न प्रकरण। (9) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थाना/चौकी के अन्तर्गत उदभूत समस्त खात्मा प्रकरण एवं बस्तर जिले के समस्त थाना क्षेत्र के खारिजी प्रकरण का निराकरण करना (10) बस्तर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने

			वाले निम्न लिखित अधिनियमों से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना :– (01) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि0 1954, (02) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954, (03) भारतीय वन अधिनियम 1927, (04) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, (05) चल चित्र अधिनियम 1944, (06) नाप तौल अधि0 दुकान स्थापना अधि01958, (07) खान अधिनियम 1952, (08) नगर निकाय अधिनियम 1961, (09) केन्द्रीय उत्पादक शुल्क एवं नमक अधि0 1944, (10) विदेशी व्यापार अधि0 (विकास एवं विनिमय) 1992, (11) कम्पनी अधिनियम 1957, (12) धन कर अधिनियम 1957, (13) दान कर अधिनियम 1958, (14) आयकर अधिनियम 1961, (15) सीमा शुल्क अधिनियम 1962, (16) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963, (17) कम्पनी(लाभ) अधिकर अधिनियम 1964, (18) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, (19) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। (20) कंपनीज अधि 1956 (21) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम की धारा 84 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। (22) ड्रग्स एवं कास्मेटिक अधिनियम के प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। (23) विद्युत अधिनियम 2003 के प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। (24) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। **(11)** बस्तर राजस्व जिले के समस्त आरक्षी केंद्रों से उदभूत/उत्पन्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले। **(12)** सम्पूर्ण बस्तर में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से चलित न्यायालय लगाना। **(13)** ऐसे समस्त अपराधों का संज्ञान लेना, जांच एवं विचारण करना, अन्य कार्यवाही करना जिसमें तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा सशक्त किया गया हो एवं जिनका वर्णन इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, तथा स्पष्ट एवं अभिव्यक्त रूप से अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को न सौंपा गया हो।

			(14) माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना जिनमें जांच एवं विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। **(15)** बस्तर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले जन प्रतिनिधि अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। **(16)** जगदलपुर बस्तर राजस्व जिले से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामले का विचारण करना। **(17)** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 **(18)** पुलिस मुख्यालय छ0ग0 नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक PHQ/TS/SCPS/C4/4/206/2023 Date 26-09-2023 एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर स्थान जगदलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 1771/चार–1–1/2016 (एस.डब्लू.) जगदलपुर दिनांक 09.10.2023 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं Intellectual property Rights Act 2016 के अनुसार कार्यवाही के संबंध में सायबर रेंज पुलिस थाना बस्तर हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर के न्यायालय को Proposed Court माना गया है। **(19)** सांसद/विधायक (MP/MLA) से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय प्रकरणों का निराकरण करना। **(20)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा समय–समय पर सौपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
02	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर	आरक्षी केन्द्र– 1) बकावण्ड, 2) मालेवाही, 3) कुकानार, 4) भानपुरी,	**(1)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण/परिवाद 175(3) भा.ना.सु.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। **(2)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले खात्मा का निराकरण करना। **(3)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। **(4)** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। **(5)** पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। **(6)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा समय–समय पर सौपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
03	श्री राहुल शराफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर	आरक्षी केन्द्र– 1) करपावण्ड, 2) बस्तर, 3) अजाक जगदलपुर,	**(1)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण/परिवाद 175(3) भा.ना.सु.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। **(2)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से

			उत्पन्न होने वाले खात्मा का निराकरण करना। (3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। (4) संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। (5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा समय–समय पर सौपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना। (6) जिला बस्तर से उत्पन्न होने वाले **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881** के समस्त प्रकरणों का संज्ञान लेना, जांच एवं विचारण तथा अन्य कार्यवाही करना।
04	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर	आरक्षी केन्द्र– 1) कोडेनार, 2) बड़ाजी,	(1) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण/परिवाद 175(3) भा.ना.सु.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले खात्मा का निराकरण करना। (3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। (4) संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। (5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा समय–समय पर सौपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
05	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर	आरक्षी केन्द्र– 1) बुरगुम, 2) नानगुर, 3) मारडूम,	(1) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण/परिवाद 175(3) भा.ना.सु.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले खात्मा का निराकरण करना। (3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। (4) संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। (5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा समय–समय पर सौपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
06	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर	आरक्षी केन्द्र– 1) महिला थाना	(1) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण/परिवाद 175(3) भा.ना.सु.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले खात्मा का निराकरण करना। (3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण

			करना। (4) संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। (5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा समय–समय पर सौपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना। (6) जिला बस्तर से उत्पन्न होने वाले **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** के प्रकरणों का संज्ञान विचारण एवं आवश्यक कार्यवाही करना।
07	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर	–	(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा समय–समय पर सौपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
08	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जगदलपुर	–	(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा समय–समय पर सौपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।

–:: आवश्यक टीप ::–

(1) किसी भी अधिनियम से संबंधित अपराध के संबंध में यदि कोई शंका की स्थिति निर्मित होती है तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

(2) किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने अथवा शासकीय दौरे पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या किसी न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य **तालिका कमांक–01** के अनुसार बढ़ते हुए कम से संपादित किया जायेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड जगदलपुर के प्रत्येक सप्ताह में बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड जगदलपुर में बैठक होने के कारण उक्त दिनों में उनके न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों अथवा तात्कालिक सुनवाई हेतु प्रकरणों का निराकरण **तालिका कमांक–01** के अनुसार बढ़ते हुए कम से संपादित किया जायेगा।

(4) धारा–183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत कथन एवं संस्वीकृतियों को **तालिका कमांक–02** के अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जायेगा। तालिका कमांक–02 के अनुसार यदि **कोई मजिस्ट्रेट लगातार अवकाश पर रहता है तो** उसके नाम के आगे बढ़ते हुए कम में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित थाने के धारा–183 भा.ना.सु.सं. के तहत संस्वीकृतियों/कथन दर्ज करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

(5) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले थाना क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

(6) जगदलपुर–मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से शासित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकारिता रखने वाले क्षेत्र में चलित न्यायालय माननीय सत्र

न्यायाधीश जगदलपुर की पूर्वानुमति से एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर को सूचित करते हुए दैनिक न्यायालय कार्य को प्रभावित किये बिना किया जायेगा, चलित न्यायालय अपने थानों के क्षेत्राधिकार में लगाई जा सकेगी।

(7) तालिका कमांक–01 के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनके सम्मुख अंकित मजिस्ट्रेट बढ़ते हुए कम के अनुसार दूसरे मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे, जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 514(2) के उपबंधों की अवहेलना न हो।

(8) बस्तर जिले के समस्त थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटरयान संहिता से संबंधित ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करना चाहता है और संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संक्षिप्त विचारण प्रकिया के दौरान यह पाया जाता है कि उनके अर्थदण्ड देने के क्षेत्राधिकार से अधिक अर्थदण्ड दिया जाना विधि में अपेक्षिक होगा, ऐसे मामलों का निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर द्वारा किया जायेगा ऐसे मामलों से संबंधित थाना क्षेत्राधिकार के विवेचक सीधे इस्तगाशा/प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के समक्ष पेश कर सकेंगे।

(9) ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(10) अवकाश में अथवा मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट (कार्य उत्तरवर्तीय) को अवकाश की लिखित एवं मौखिक सूचना अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व देंगे।

(11) कार्यविभाजन आदेश अनुसार संबंधित थानों से प्रस्तुत स्थायी गिरफ्तारी वारंट संबंधित न्यायालयों में पेश की जावेगी।

(12) **मुख्यालय बस्तर जगदलपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट** को प्रत्येक शासकीय या अन्यथा घोषित अवकाश के दिवसों में रिमाण्ड संबंधी प्रत्येक आवश्यक कार्य का संपादन करने संबंधी विविध आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर द्वारा प्रत्येक माह पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

(13) तालिका कमांक–01 एवं तालिका कमांक –02 में दिये गये कमांक एवं विशिष्टयों को उनके निरंतरता के कम (बढ़ते हुए कम) में पढ़ा जायेगा।

(14) किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर (बालक) से संबंध प्रकरण हेतु किशोर न्याय बोर्ड, जगदलपुर में स्थापित है। बुधवार को छोडकर शेष कार्यदिवस का किशोर न्याय अधिनियम का रिमाण्ड **किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य** के समक्ष प्रस्तुत होगा। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड जगदलपुर द्वारा उक्त संबंध में पृथक से ड्यूटी रोस्टर जारी किया जावेगा।

(15) जिले के समस्त थानों को निर्देशित किया जाता है कि खारिजी प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

(16) माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर के ज्ञापन कमांक 14754/D&A/2023, बिलासपुर दिनांक 08/11/2023 शुध्दि पत्र दिनांक 15250/D&A/2023, बिलासपुर दिनांक 23/11/2023 एवं ज्ञापन कमांक 15520/D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 29/11/2023 के एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर स्थान जगदलपुर के विविध आदेश 74/एक–11–1/2003 एस. डब्लू. जगदलपुर दिनांक 13.12.2023 के आदेशानुसार तालिका कमांक 01 (अत्यावश्यक कार्यो का निष्पादन) लिंक न्यायिक अधिकारी (Link Judicial Officer) द्वारा किया जायेगा।

तालिका कमांक–01
(अत्यावश्यक कार्यों का निष्पादन)

क.	स्तम्भ कं0–01	स्तम्भ कं0–02	स्तम्भ कं0–03	स्तम्भ कं0–04	स्तम्भ कं0–05	स्तम्भ कं0–06	स्तम्भ कं0–07
1.	श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर
2.	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर
3.	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर
4.	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर
5.	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर
6	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर
7	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर
8	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर

तालिका कमांक–02

(धारा–183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन एवं संस्वीकृतियां दर्ज करना)

क.	स्तम्भ कं0–01 थाना	स्तम्भ कं0–02	स्तम्भ कं0–03	स्तम्भ कं0–04	स्तम्भ कं0–05	स्तम्भ कं0–6
1.	जिला बस्तर के समस्त आरक्षी केन्द्रों/चौकी से उत्पन्न **पॉक्सो अधिनियम (लौंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012)** से संबंधित मामलों में कथन तथा आरक्षी केन्द्र बोधघाट, मालेवाही, कुकानार, बुरगुम का कथन लेखबद्ध करना।	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर
2.	किशोर न्याय बोर्ड जगदलपुर में पेश होने वाले सभी प्रकरण एवं आरक्षी केन्द्र/चौकी कोतवाली जगदलपुर, लोहण्डीगुड़ा, नानगुर, नगरनार, बकावण्ड, मारडूम से उत्पन्न होने वाले मामले।	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर
3.	आरक्षी केन्द्र/थाना/चौकी परपा, करपावण्ड, कोडेनार, बडांजी, महिला थाना से उत्पन्न मामले।	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर
4.	आरक्षी केन्द्र/थाना/चौकी भानपुरी, बस्तर, दरभा, अजाक, रेल्वे एवं यातायात से उत्पन्न मामले।	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर	श्री हरिश सलामे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर

तालिका कमांक–03

(एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52–क के तहत इन्चेटरी (विवरणी) प्रमाणित करना)

क0	मजिस्ट्रेटों का नाम	थाना/आरक्षी केन्द्रों का नाम
1.	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर छ.ग.	थाना बोधघाट, फ्रेजरपुर (परपा), यातायात जगदलपुर
2.	श्री राहुल शराफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर छ.ग.	आरक्षी केन्द्र/चौकी बकावण्ड, लोहण्डीगुडा, नगरनार, भानपुरी,
3.	कुमारी नीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर छ.ग.	थाना कोतवाली, बुरगुम, अजाक, महिला थाना, रेल्वे सुरक्षा बल जगदलपुर
4.	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर छ.ग.	थाना बस्तर, कोडेनार, मालेवाही एवं बस्तर जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रो/चौकी से उत्पन्न अल्मात्रा संबंधित प्रकरण
5.	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर छ.ग.	थाना नानगुर, दरभा, कुकानार,
6.	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर छ.ग.	थाना बडाजी, मारडूम, करपावण्ड

(माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बस्तर स्थान–जगदलपुर छ.ग. की ओर अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है)

स्थानः– जगदलपुर
दिनांक – 06.04.2026

(शिव प्रकाश त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर स्थान जगदलपुर

प्रतिलिपि :–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर।
02. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बस्तर स्थान–जगदलपुर छ.ग.।
03. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बस्तर,स्थान–जगदलपुर,छ.ग.।
04. कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बस्तर,स्थान–जगदलपुर,छ.ग.।
05. माननीय विशेष न्यायाधीश,एट्रोसिटीज बस्तर,स्थान–जगदलपुर छ.ग.।
06. माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय/एफ.टी.एस.सी./एफ.टी.सी. अपर सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान– जगदलपुर छ.ग.।
07. प्रस्तुतकार , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर ।
08. श्री/श्रीमतीन्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी जगदलपुर जिला–बस्तर छ.ग.।
09. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जगदलपुर जिला – बस्तर,छ.ग.।
10. पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर, जिला – बस्तर, छ.ग. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ सभी थाना/चौकी प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु संचारित करने बाबत्।
11. लोक अभियोजक जगदलपुर छ.ग.।
12. जिला अभियोजन अधिकारी, जगदलपुर जिला–बस्तर,छ.ग.।
13. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जगदलपुर,जिला–बस्तर,छ.ग.।
14. उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रसाधन,जगदलपुर, जिला–बस्तर,छ.ग.।
15. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर,जिला–बस्तर,छ.ग.।
16. जिला आबकारी अधिकारी जगदलपुर जिला–बस्तर,छ.ग. को सूचनार्थ एवं अन्य आबकारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक आबकारी वृत्तो को परिचालन हेतु।
17. आयुक्त, नगर निगम, जगदलपुर,जिला–बस्तर,छ.ग.।
18. वन संरक्षक, जगदलपुर,जिला–बस्तर,छ.ग.।
19. वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मंडल, जगदलपुर ।
20. संचालक, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिला–बस्तर,छ.ग.।
21. वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर ।
22. श्रम आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग.।
23. कार्यपालन यंत्री,छ0ग.राज्य विद्युत मंडल/विद्युत सुरक्षा निरीक्षक,जगदलपुर, छ.ग.।
24. केन्द्रीय पंजीयन शाखा/मालखाना अनुभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
25. आरक्षी केन्द्र रेल सुरक्षा बल जगदलपुर छ.ग.।
26. सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय जगदलपुर के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।

जगदलपुर
दिनॉक–06.04.2026

06/04/26
(शिव प्रकाश त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर स्थान जगदलपुर

अनुमोदित
6.4.26
Principal District & Sessions Judge
Bastar At Jagdalpur (C.G.)